

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक दिसम्बर, 2013

पत्र संख्या-1/एल0टी0सी0-50-15/2013 गृ0आ0 / श्री अमरीक सिंह निम्बरान, भा0पु0से0 (1979), महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना को ब्लॉक वर्ष 2010-13 के अन्तर्गत कावारती (लक्षद्वीप) भ्रमण करने हेतु सपत्नीक अवकाश यात्रा रियायत (एल0टी0सी0) की स्वीकृति विभागीय अधिसूचना सं0 8807, दिनांक 26.11.2013 द्वारा प्रदान की गयी थी ।

2. श्री निम्बरान द्वारा अपरिहार्य कारणवश उक्त रियायती यात्रा करने में असमर्थता व्यक्त किया गया ।

3. एतद् द्वारा उक्त निर्गत अधिसूचना को रद्द किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-1/एल0टी0सी0-50-15/2013 गृ0आ0

/पटना, दिनांक दिसम्बर, 2013

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक

कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-1/एल0टी0सी0-50-15/2013 गृ0आ0

/पटना, दिनांक दिसम्बर, 2013

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-1/एल0टी0सी0-50-15/2013 गृ0आ0

9109

/पटना, दिनांक 5 दिसम्बर, 2013

प्रतिलिपि:-अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक,

नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्री अमरीक सिंह निम्बरान, भा0पु0से0 (1979),

महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना/आई0टी0

प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।